(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 52 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 28 दिसम्बर, 2022

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के तहत, उड़द [एसपीपी विग्ना मुंगो (एल.) हेप्पर की बीन्स] (आईटीसी (एचएस) 0713 31 10) और तूर/पिजन पीज़ (केजनस काजन) (आईटीसी (एचएस) 0713 60 00) की आयात नीति में संशोधन

सा.आ.(अ.): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22), की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उड़द और तूर की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07133110	उड़द [एसपीपी विग्ना मुंगो (एल.) हेप्पर की बीन्स]	मुक्त	31.03.2023 तक आयात 'मुक्त' है	31.03.2024 तक आयात 'मुक्त' है
07136000	तूर/पिज़न पीज़ केजनस काजन)	मुक्त	31.03.2023 तक आयात 'मुक्त' है	31.03.2024 तक आयात 'मुक्त' है

अधिसूचना का प्रभावः उड़द और तूर की ''मुक्त'' आयात नीति दिनांक 31.03.2024 तक आगे बढ़ाई गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
28.12.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

(फा.सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2 (ए)/ई–1657 से जारी)